न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

ीन अधिकारी– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

ण संख्या:–97 / 2024

तारीख दायर:–23.10.2024

तारीख निर्णय:–26.05.2025

1. श्री सवा पिता मानाजी गमेती निवासी क्यारिया तहसील झाडोल।

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री परमा पिता पाचा वडेरा भील निवासी क्यारिया तहसील झाडोल।
2. श्री प्रभुलाल पिता काना वडेरा भील निवासी क्यारिया तहसील झाडोल।

...............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

स्थित– प्रार्थीगण की ओर से– श्री राजेष कुमार कलासुआ

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा क्यारिया पटवार ल्का काडा तहसील झाडोल में आराजी नम्बर 683, 701, 702, 703, 704 किता 05 कुल रकबा 1.2100 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काष्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेषान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेष कर दखलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवष्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा क्यारिया पटवार हल्का काडा तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 683, 701, 702, 703, 704 किता 05 कुल रकबा 1.2100 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेष प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेष होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेष दिये गये। तत्पष्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खाातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी

जाने मे कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा क्यारिया पटवार हल्का काका तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 683, 702, 703, 704 किता 05 कुल रकबा 1.2100 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही की स्थिति मे दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर